क्या आपको जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद सहायता मिली थी?

हर महिला जो घर पर रहकर प्रसव करवाना चाहती है, हर प्रसव पर कुल पांच सौ (500) रूपये की नगद सहायता पाने की हकदार है।

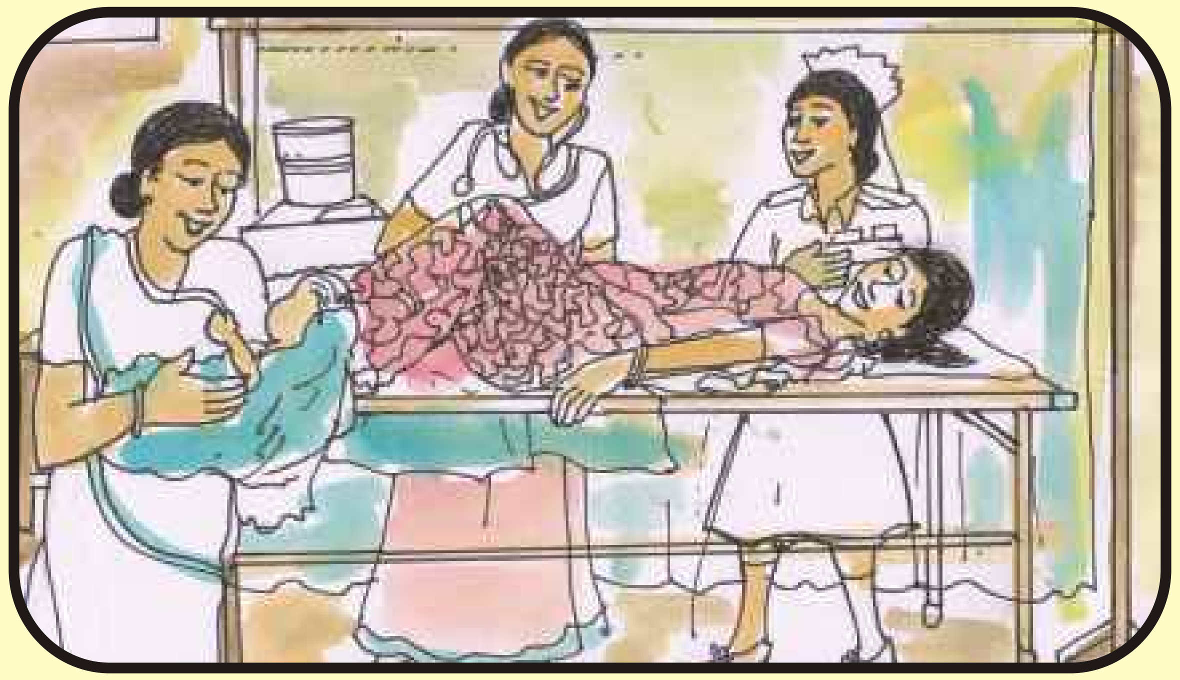

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल के सामान्य वार्ड में प्रसव करवाने वाली हर महिला को हर प्रसव पर कुल चौदह सौ रूपये (1400) की नगद सहायता पाने का हक है।

- आशा/एएनएम की यह जिम्मेवारी है कि वे गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जायें व वहां से जाने की अनुमति मिल जाने तक उसके साथ रहें।
- इसके अलावा पैसों का समय पर भुगतान करना भी उन्हीं की जिम्मेवारी है।
- अधिक जानकारी के लिए अपने गांव की आशा या एएनएम से मिलें या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें व इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवायें।

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

सरकार ने जननी सुरक्षा योजना की शुरूआत संस्थागत प्रसव को बढावा दे कर मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को नगद सहायता राशि दी जाती है, जिसे वे अपनी देखभाल पर खर्च कर सकती हैं।

एडवाइज़री ग्रुप ऑन कम्यूनिटी एक्शन (एजीसीए) की ओर से नेशनल सेक्रिटेरियेट ऑन कम्यूनिटी एक्शन – एनआरएचएम, पॉप्यूलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया (पीएफआई)
और सेंटर फॉर हेल्थ एण्ड सोशल जस्टिस (सीएचएसजे) द्वारा प्रकाशित
3 सी, पहली मंजिल, एच ब्लॉक, साकेत, नई दिल्ली–110017, दूरभाष: 91–11–40517478 फैक्स नं.: 91–11–26536041, ई–मेल: chsj@chsj.org वेबसाइट: www.chsj.org